स्मरण–पत्र

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

कमांक–एफ. 4(1)पोषा/पंच व.यो./ICDS/2012/192247-583 जयपुर, दिनांकः 31-10-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

विषयः– आरटीई/गरम पूरक पोषाहार के नियमित भुगतान बाबत।
सन्दर्भः– विभागीय पत्रांक 131312–44 दिनांक 16.07.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको आरटीई/गरम पूरक पोषाहार के नियमित भुगतान हेतु लिखा गया था। किन्तु माह सितम्बर 2018 की भुगतान स्थिति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आरटीई/गरम पूरक पोषाहार का भुगतान समय पर नही हो रहा है। स्वयं सहायता समूहो को समय पर भुगतान नही किये जाने से पोषाहार की निर्बाध आपूर्ति में व्यवधान की संभावना रहती है, जिससे विभागीय निर्देशो एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत गठित पूरक पोषाहार नियमावली 2017 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित नही होती है तथा विभागीय सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पडता हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि आप व्यक्तिगत रूप से समेंकित बाल विकास सेवा योजनान्तर्गत पूरक पोषाहार कार्यकम एवं किशोरी बालिकाओं के लिए योजना की समीक्षा कर स्वयं सहायता समूहों को समय पर भुगतान कराना सुनिश्चित करावें, ताकि विभागीय लक्ष्यों की पूर्ण पालना सुनिश्चित हो सके। भुगतान के अभाव में आंगनबाडी केन्द्रो पर पूरक पोषाहार की उपलब्धता नही होने की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा।

(जिज्ञासा गौड)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

कमांक–एफ. 4(1)पोषा/पंच व.यो./ICDS/2012/192584-85 जयपुर, दिनांकः 31-10-18
प्रतिलिपि –

1. वित्तिय सलाहकार, मुख्यालय
2. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(जिज्ञासा गौड)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)